न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–वन्दना सिंघवी आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 20/2021

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
बस्ताराम पुत्र स्व0 पन्नाराम माली निवासी ग्राम आसोप, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर **प्रफोर्मा पक्षकार –** 2. केवलराम पुत्र पन्नाराम 3. गीतादेवी पत्नी स्व0 रूपाराम 4. पुकराज गोद पुत्र स्व0 रूपाराम 5. पांचाराम पुत्र स्व0 पन्नाराम 6. श्रवणराम पुत्र स्व0 पन्नाराम (जाति माली, निवासी ग्राम आसोप, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ दिनांक 25.05.2015 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 62/2008 अनवान पानी वगैरा बनाम सरकार

उपस्थित–
1. श्री सुगनमल परिहार, वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता संख्या एक

निर्णय

दिनांक 16.07.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 62/2008 पानी वगैराह बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 25.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट–प्रार्थीगण–पानी बेवा स्व0 पन्नाराम वगैराह ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् प्रस्तुत कर ग्राम आसोप, तहसील भोपालगढ के खसरा नम्बर 2174 रकबा 2 बीघा की खातेदारी कृषि भूमि, को बंदोवस्त से पूर्व 3 बीघा के करीब होने से वक्त मिसल बंदोबस्त में लिपिकीय त्रुटी से उक्त

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

भूमि 3 बीघा के स्थान पर 2 बीघा दर्ज कर दी जाने से इसे दुरूस्त करने का आग्रह किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 25.05.2015 द्वारा खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर वर्तमान अपीलांट ने राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट खसरा नम्बर 2174 का रेकर्डेड खातेदार है व विवादग्रस्त भूमि पर उसका पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा हे। उक्त प्रार्थना पत्र मूलतः उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे बाद में उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ को हस्तांतरित कर दिया गया। पत्रावली मौका रिपोर्ट हेतु चल रही थी, जिसे बिना सूचना के कैम्प कोर्ट में ले जाकर बिना सुनवाई व बिना दस्तावेजों की जांच किए निर्णित कर दिया गया। इस मामले में राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी आसोप ने मौका पैमाईश रिपोर्ट बनायी थी, इस कारण विद्वान उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार भोपालगढ से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश दिये गये। पत्रावली पर प्रस्तुत नक्शे से स्पष्ट था कि खसरा नं0 2174 मौजा आसोप का रकबा 2 बीघा न होकर 3 बीघा है, जबकि जमाबंदी में केवल 2 बीघा ही दर्ज किया गया। जो सेटलमेंट की लिपिकीय भूल थी, जिसे प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दुरूस्त किया जाना चाहिए था। संशोधित धारा 136 बहुत ही व्यापक है एवं राजस्व रेकर्ड में किसी भी त्रुटी को दुरूस्त किया जा सकता है। विवादग्रस्त भूमि पर स्व0 पन्नालाल पीढीयों से 3 बीघा भूमि पर काबिज थे एवं उनके वारिसान उतने ही रकबे पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने दिनांक 3.3.08 की मौका पेमाईश रिपोर्ट पेश की थी। जिससे अपीलार्थी के कथन की ताईद होती थी, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई विचार नही किया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाते हुए अपीलांट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 आरएलआर एक्ट स्वीकार करते हुए भूमि खसरा नं0 2174 ग्राम आसोप का रकबा जमाबंदी में 2 बीघा के स्थान पर 3 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में

अप्रार्थी–तहसीलदार भोपालगढ द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निस्तारण किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की इस स्तर पर आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी–तहसीलदार भोपालगढ द्वारा दिनांक 31.5.2008 को जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ, जिसके बिन्दु सं0 3 से 6 मे उल्लेखित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का आग्रह किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति वकील प्रार्थीगण को दी गई थी, जिनके द्वारा दिनांक 25.06.2008 को जबाबुल जबाब प्रस्तुत हुआ। जिसके खण्डन में अप्रार्थी–तहसीलदार भोपालगढ द्वारा दिनांक 25.5.15 को प्रार्थी के जबाबुल जवाब का बिन्दुवार प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर सारांशतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का आग्रह किया गया। समस्त तथ्यों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मौखिक आधार पर ही प्रस्तुत किया गया था, जिसके समर्थन में किसी प्रकार के साक्ष्य/सबूत अथवा दस्तावेज यथा नक्शा मिलान/खसरा मिलान, भू–प्रबंध संवत् 2011 दर्ज प्रविष्टि इत्यादि की प्रतियां प्रस्तुत नही की गई और ना ही इस न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किए गये, जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट/ प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्याय से वंचित रहा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तदनुसार खारीज की जाती है एवं लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 62/2008 पानी वगैरा बनाम सरकार में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2015 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः होने से बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16 जुलाई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

16.07.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर